











## आईसीयू में भर्ती नए दिशानिर्देश

आईसीयू में भर्ती के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ताकि खर्च घटाते हुए नैतिक इलाज सुनिश्चित किया जा सके। यह उन लाखों लोगों के लिए स्वागत योग्य रहत की बात है जो कुछ अस्पतालों की टीमों का शिकायत होते हैं। सरकार ने कुछ गड़बड़ीयां दूर करने के लिए आईसीयू में भर्ती के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सभी जानते हैं कि अनेक निजी अस्पताल ईंटेसिक केमर यूनिटों-आईसीयू में रोगियों की भर्ती कर उनके बहुत अधिक पैसे लेते हैं, भले ही रोगी को इनकी आवश्यकता न हो और वह बहुत गंभीर न हो। ऐसी गड़बड़ीयों रोकने और इन पर नियंत्रण के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में आईसीयू भर्ती के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। 24 प्रत्यात्मकताओं की समिति द्वारा विकसित इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य परादर्शिता के आधार पर चिकित्सा है। नए दिशानिर्देशों में जरूर दिया गया है कि भर्ती की आधार वस्तुनिष्ठ हासी किसका आधार वस्तुनिष्ठ हासी जिसमें खासगिर किसी जीवन को सहायता देने की स्थिति सामिल है। इक्ताप, श्वसन दर, सांस लेने का पैटर्न, दिल धड़कने की दर, आक्सीजन सेंचेशन, मृत्र की मात्रा तथा तंत्रिकाओं की स्थिति आदि मानकों का नियमित परीक्षण उन रोगियों में किया जाएगा जो आईसीयू में भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हों। इसके साथ ही दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि याद मरीज या रिहाईदारों द्वारा मना किया जाए तो गंभीर रोगियों में भर्ती नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा का विसर्जन गूंज वामारी से पैदा इलाज की सीमा के कारण 'लिंगिंग विल' या पहले से आईसीयू देखभाल से इनकार करने वाले रोगियों तथा इलाज की सीमा समाप्त होने की स्थिति बाले अत्यन्त गंभीर रोगियों को भी आईसीयू में भर्ती से अलग रखा जाना चाहिए।

दिशानिर्देशों का विस्तार आईसीयू से डिस्चार्ज तक है। इसमें शारीरिक स्थितियों की लगभग सामान्य या आधारभूत स्तर तक वापसी शामिल है। आईसीयू में भर्ती का वापस बने तो त्रीव रोग की नीती बदना तथा उपरिकृति में आगा डिस्चार्ज के लिए आवश्यक शर्त है। इसके साथ ही आईसीयू से डिस्चार्ज, चिकित्सा सीमित करने वाले नियम या 'पैलियेटिव केयर' के लिए रोगी या परिवार की सहमति महत्वपूर्ण है। सरकार का यह नियम कुछ ठग नियमों की अस्पतालों पर लगाम लगाने के लिए बहु-प्रतीक्षित बन गया है। ऐश्विक महानारी के दौरान अनेक ऐसे मामले समाप्त आए थे जब कुछ अस्पतालों ने जिसका किसी देखभाल के रोगियों को आईसीयू में भर्ती कर लिया और उनसे बहुत ज्यादा पैसा लिया। हालांकि, इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य स्वास्थ्य व्यवहार में समान सुधार है, पर इस पर गहराई से गोर करने की जरूरत है। कई बार ऐसे अधारकार्यकारी परीक्षण लिख दिए जाते हैं कि जिसको अस्पताल की सामान्य प्रयोगशाला में किया जा सकता है। सरकार का यह दिशानिर्देश सही दिशा में किया जाए है ये दिशानिर्देश अनुचित रूप से आईसीयू में भर्तीयों तथा इनके लिए भारी खर्च की खबरों के बीच आए हैं। आईसीयू खर्च बढ़ा-चढ़ा कर बताना व्यापक प्रवर्ति बन गया था जिसको सामान्य परीक्षण संसाधन में जरूर दिया गया है। आईसीयू भर्ती पर मंत्रालय के दिशानिर्देश अस्पतालों में नैतिक व्यवहार सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वस्तुनिष्ठ चिकित्सकीय आधार तथा रोगियों से पूर्व सहमति पर जो देकर दिशानिर्देशों ने विनीय मामलों पर मरीजों की बेहती को प्रथमिकता दी है। उम्मीद है कि इन उपायों से ज्यादा पारदर्शी तथा रोगी-केन्द्रित स्वास्थ्यकर्ता व्यवस्था का नियम होगा जिससे जनता व स्वास्थ्यकर्ता प्रदाताओं के बीच विश्वास बढ़ेगा।











